

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 38/2012 (2012/00026) वादपत्र

1. शंकरलाल आत्मज रामा कुमावत निवासी सुरास, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
वादी

बनाम

1. मांगीलाल आत्मज रामा कुमावत निवासी सुरास, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बालुलाल आत्मज रामा कुमावत निवासी सुरास, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद —
2. हरिश टेलर —

अधिवक्ता वादी

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 11.10.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 17.12.2019 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरास पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 39 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 40 रकबा 0.54 है0, आराजी संख्या 137 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 160 रकबा 0.37 है0, आराजी संख्या 161 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 163 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 211 रकबा 0.43 है0, आराजी संख्या 212 रकबा 0.02 है0 गै0मु0रास्ता, आराजी संख्या 330 रकबा 0.45 है0, आराजी संख्या 336 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 337 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 347 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 348 रकबा 0.03 है0 गै0मु0चाह, कुल कित्ता 13 कुल रकबा 3.41 है0 भूमि में में आराजी संख्या 163 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 खड्डा, आराजी संख्या 212 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 रास्ता, आराजी संख्या 348 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 चाह को सामलाती रखते हुए वादी का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्से का मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोर्ड्स के आधार पर वाद में मौका रिपोर्ट एवं विभाजन प्रस्ताव बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 11.10.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन



(Handwritten signature)

कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सुरास तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रस्तावित आराजी संख्या 137 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 336 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 337 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 160/3 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 160/1 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 330/1 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 347/1 रकबा 0.09 है0 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 1.09 है0 भूमि शंकरलाल पुत्र रामा कुमावत सा.देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा रायपुर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 211 रकबा 0.43 है0, आराजी संख्या 161/2 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 347/2 रकबा 0.37 है0, आराजी संख्या 212 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 160/2 रकबा 0.20 है0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 1.09 है0 भूमि मांगीलाल पिता रामा कुमावत सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 39 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 40 रकबा 0.54 है0, आराजी संख्या 161/3 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 330/2 रकबा 0.29 है0 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 1.09 है0 भूमि बालुलाल पुत्र रामा कुमावत सा.देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 163 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 348 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 161/1 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 330/3 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 330/4 रकबा 0.01 है0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 0.14 है0 भूमि शामलाती बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Shiv
11.10.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलक्टर रायपुर (मिलवाड़ा)
रायपुर (मिलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:--श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-- 38/2012 (2012/00026) वादपत्र

1. शंकरलाल आत्मज रामा कुमावत निवासी सुरास, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
वादी

बनाम

1. मांगीलाल आत्मज रामा कुमावत निवासी सुरास, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बालुलाल आत्मज रामा कुमावत निवासी सुरास, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सुरास तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 137 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 336 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 337 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 160/3 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 160/1 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 330/1 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 347/1 रकबा 0.09 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.09 है0 भूमि शंकरलाल पुत्र रामा कुमावत सा.देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा रायपुर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 211 रकबा 0.43 है0, आराजी संख्या 161/2 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 347/2 रकबा 0.37 है0, आराजी संख्या 212 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 160/2 रकबा 0.20 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.09 है0 भूमि मांगीलाल पिता रामा कुमावत सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 39 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 40 रकबा 0.54 है0, आराजी संख्या 161/3 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 330/2 रकबा 0.29 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.09 है0 भूमि बालुलाल पुत्र रामा कुमावत सा.देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 163 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 348 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 161/1 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 330/3 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 330/4 रकबा 0.01 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.14 है0 भूमि शामलाती बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 11.10.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



Sundar Lal Bumboda
11.10.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा